फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
चेनाराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल
निवासी पावा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/632

वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
15-10-25	तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम कोटडा स्थित भूमि खसरा न0 279/6, 279/5 कुल रकबा 1.500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 7.50 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, बोया एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (मुहर: न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादी**
चेनाराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल निवासी पावा तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/632
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सेवाडी स्थित भूमि खसरा न0 279/6, 279/5 रकबा 1.500 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 7.50 के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, बोया एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। -

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/10/25 को जारी की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार | NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) | दिनांक : 06/10/2025 11:41:54 AM

जिला : पाली | तहसील : बाली | भू. अ. नि. क्षेत्र : बाली

पटवारी हल्का : बोया | ग्राम : कोटडा

खसरा संख्या :279/5 क्षेत्रफल : 1.5000 Hectare खाता संख्या : 79पुराना खाता संख्या :77

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी दोयम [1.5000, 7.50]

1.) चेना पुत्र नवा राम जी हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल मकान संख्या- 0, कॉलोनी- पावा , क्षेत्र/स्थान- पावा , शहर- पावा , पिन कोड- 306708, ज़िला - PALI,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

2.) जय सिंह नागर पुत्र ओमप्रकाश नागर हिस्सा- 1/3 जाति- रेगर मकान संख्या- WARD NO 11 , कॉलोनी- रेगरो का मोहल्ला , क्षेत्र/स्थान- तहसील चोमू , शहर- चोमू , पिन कोड- 303807, ज़िला - JAIPUR,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

3.) सोहन लाल पुत्र दुदाराम जी हिस्सा- 1/3 जाति- मेघवाल मकान संख्या- 0, कॉलोनी- मेघवालो का बास भागली , क्षेत्र/स्थान- भागली , शहर- भागली , पिन कोड- 306126, ज़िला - PALI,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

तहसीलदार, बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल ... तह.बाली, जिला ...

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned by CamScanner